न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

तारीख रजू 30.1.17

मु.नं. 05/17

उनवान – महफूज बनाम शालीरबेग वगैरा
मकबरा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से Adv. सुनील कुमार जिन्दल ने प्रार्थी पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गयी। प्रथम द्रष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मकबरा की भूमि ख.नं. 57 रकबा 02 ऐयर, 58 रकबा 44 ऐयर, 59 रकबा 13 ऐयर, 60/176 रकबा 05 ऐयर, 61 रकबा 05 ऐयर, 158 रकबा 24 ऐयर, 159 रकबा 14 ऐयर, 160 रकबा 19 ऐयर कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 है में आगामी सुनवाई तिथि तक मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 1.3.17 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

316-20
30.1.17

1.3.17

प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से श्री नरेन्द्र कुमार जोशी Adv. ने तथा अप्रार्थी नं. 2, 3, 4 की ओर से श्री जाकिर खान Adv. ने वकालतनामे पेश किये। अप्रार्थी नं. 5 बावजूद सूचना उपस्थित नही है उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। वास्ते जवाब पेश करने दिनांक 21.3.17 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

दिनांक		
18.9.17	वकुलाय उप। वास्ते बहस दि. 4.10.17 को पेश हो। जगदीश आर्य उपजिला कलक्टर टोडाभीम	
	4.10.17 वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी वकील ने बहस के लिए समय चाहा दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 9.10.17 को पेश हो। जगदीश आर्य उपजिला कलक्टर टोडाभीम	
9.10.17	वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अप्रार्थीयो के वकीलो ने अपने-अपने जबाबों मे वर्णित तथ्यो को दोहराया। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 30.1.17 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के फैसला होने तक कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः ग्राम मकबरा की भूमि खसरा नम्बर 57 रकबा 0.02 है०, 58 रकबा 0.44 है०, 59 रकबा 0.13 है०, 60/196 रकबा 0.05 है०, 61 रकबा 0.05 है०, 158 रकबा 0.24 है०, 159 रकबा 0.14 है०, 160 रकबा 0.19 है०, कुल किता 8 कुल रकबा 1.26 है० पर दावा के फैसला होने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। फरीकैन मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	